MP PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD (MPPEB)

व्यावसायिक परीक्षा परिषद मध्य प्रदेश 2018

JUNIOR ACCOUNTANT Recruitment -2018

मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018

SYLLABUS//पाठ्यक्रम

www.studywithgyanprakash.com

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

प्रश्नपत्र का विवरण :

प्रश्न खण्ड अ हायर सेकेण्डरी स्तर **100 अंक**

विषयों का विवरण
1. सामान्य ज्ञान
2. सामान्य हिन्दी
3 .सामान्य अंग्रेजी
4. सामान्य गणित
5. सामान्य तार्किक योग्यता
6. सामान्य विज्ञान
7. सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान

प्रश्न खण्ड ब स्नातक स्तर 100 अंक

1. लेखाकन, अंकेक्षण एवं आयकर

(i) लागत एवं प्रबंध लेखे :-

लागत नियंत्रण एवं लागत प्रक्रिया, लागत लेखांकन। लागत-मात्रा-लाभ संबंध एवं निर्णयन। बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत।

(ii) अंकेक्षण :-

अंकेक्षण कार्य की योजना। सम्पत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन। एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी का अंकेक्षण। अंकेक्षक का प्रतिवेदन, कम्प्युटीकृत लेखों का अंकेक्षण, लेखों के अंकेक्षण में कम्प्युटरों का अनुप्रयोग।

(iii) आयकर :-

व्यक्ति कर दाता के कर निर्धारण संबंधी आयकर अधिनियम के प्रावधान। कर मुक्त आय एवं सकल कुल आय से कटौतियाँ। कर योग्य आय एवं कर दायित्व की गणना।

-

2. भारतीय संविधान

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पंचायती राज एवं नगरीय शासन 73 वें और 74 वें संविधान संशोधनों का महत्व, मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एवं कार्य।

3. लोक प्रशासन

(i) वित्तीय प्रशासन की अवधारणा एवं महत्व, बजट की प्रक्रिया एवं उसकी भूमिका, निष्पादन बजट, शून्य - आधरित बजट।

(ii) विधायी नियंत्रण, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति, लेखा परीक्षण एवं लेखा।

(iii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

(iv) लोक प्रशासन में कम्प्यूटर की भूमिका, ई-गवर्नेन्स।

4. राज्य प्रशासन

(i) मध्यप्रदेश में प्रशासन पर विधायी एवं वित्तीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समितियां, लोक उद्यम समिति।

(ii) जिला प्रशासन- कलेक्टर की भूमिका, तहसील एवं तहसीलदार, खण्ड एवं खण्ड विकास अधिकारी।

(iii) स्थानीय प्रशासन- स्थानीय प्रशासन की भूमिका, विकेन्द्रीयकरण, कमजोर वर्गो के सशक्तीकरण की आवश्यकता, शहरी प्रशासन, मध्यप्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायत।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत, पंचायत प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (C.E.O.) की भूमिका, स्थानीय प्रशासन पर राज्य का नियंत्रण।